

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:प 8 (ड)( )विधि/मनो/डीएलबी/22/1951

दिनांक 20-7-2022

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए नगर पालिका कैथून में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल	श्रेणी
कोटा	नगरपालिका कैथून	1.	श्री आरिफ हुसैन बिहारी	स्व. श्री महमूद बिहारी	वार्ड न. 2, पुलिया, बस स्टैण्ड, कैथून	8003443834	
		2.	श्री कुंदनमल रैगर	श्री ब्रदीलाल	टोडी मोहल्ला, वार्ड नं.-1, कैथून	7296905021	एस.सी
		3.	श्री धनश्याम मेहरा	श्री छीतरमल	वार्ड नं. 20, पुराना बस स्टैण्ड, कैथून	9694276926	
		4.	श्री पवन जैन	श्री पूनमचन्द जैन	पुलिस थाने के पास कैथून	9829031287	

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा )  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प 8 (ड)( )बो.प्र/डीएलबी/22/1458-1471

दिनांक 20-2-2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, कोटा
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग कोटा
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कैथून को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सहवृत/मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी